छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एन. चन्द्रकार, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील संख्या 80/2001

अपीलार्थी: रामलाल

बनाम

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
न्यायाधीश
दिनांक 1-12-2009

सही/-
आर.एन. चन्द्रकार
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 80/2001

अपीलार्थी: रामलाल पिता नकुल, जाति गोंड, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी बिरिंगपाल, थाना फ्रेजरपुर, जिला बस्तर।

बनाम

उत्तरवादी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बस्तर, जगदलपुर।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन दांडिक अपील

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एन. चन्द्रकार, न्यायाधीश

उपस्थित: श्री एन.पी. कोष्ठा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री अखिल अग्रवाल, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(दिनांक 2 दिसम्बर, 2009 को उद्घोषित)

1. यह अपील तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 383/2000 में दिनांक 20-12-2000 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए उसे दस वर्ष के सक्षम कारावास और रु. 5000/- के जुर्माने का दंडादेश दिया गया है, और जुर्माने की अदायगी में चूक की दशा में एक वर्ष के अतिरिक्त सक्षम कारावास की सजा दी गई है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि अभियोक्त्री सुरजबती (अ.सा. -1) द्वारा दिनांक 31-7-2000 को थाना फ्रेजरपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रिपोर्ट दर्ज कराने से लगभग एक वर्ष पूर्व जब अभियोक्त्री सुरजबती (अ.सा. -1) जिसकी आयु लगभग 19 वर्ष थी, खेत में काम कर रही थी, तो अपीलार्थी वहाँ आया और उसके साथ बलात्कार किया। जब अभियोक्त्री सुरजबती ने उस-से कहा कि वह इस मामले की रिपोर्ट थाने में कराएगी, तो अपीलार्थी ने विवाह का आश्वासन देकर उसे मना लिया।

इसके बाद अपीलार्थी ने नियमित रूप से अभियोजक के साथ यौन संबंध बनाए जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। इसके बाद गाँव में पंचायत की बैठक बुलाई गई जिसमें अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को स्वीकार किया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। इस दौरान अपीलार्थी की माता ने उसके विवाह के लिए प्र यास करना शुरू किया। इसलिए अभियोक्त्री सुरजबती अपने मायके चली गई और फिर से पंचायत की बैठक हुई जिसमें अपीलार्थी ने लिखित रूप में दिया कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद अभियोक्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया जो मर गया और फिर से गाँव की पंचायत हुई जिसमें भी अभियुक्त अपीलार्थी ने लिखित रूप में दिया कि वह अभियोजक से विवाह करेगा। अंततः अपीलार्थी ने अभियोजक सुरजबती से विवाह नहीं किया। इसलिए अभियोजक ने दिनांक 31-7-2000 को उसके विरुद्ध थाना फ्रेजरपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर भार-तीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) पंजीबद्ध की गई और मामले की जाँच की गई।

3. सामान्य अन्वेषण पूर्ण होने के बाद सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया जहाँ से में मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जहाँ से मामला स्थानांतरण पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बस्तर, जगदलपुर के पास आया जिन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप निश्चित कि-या। अभियुक्त ने अपराध से इंकार किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने विधिवत विचारण के बाद अभियुक्त/अपी-लार्थी को दोषसिद्ध किया और निर्णय के कण्डिका 1 में उल्लिखित अनुसार दंडादेश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. अपीलार्थी द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आक्षेपित आदेश अवैध है, अनुचित है और विधि एवं प्रक्रिया की आवश्यकताओं के विपरीत है जो विधि की नजर में स्थिर रखने योग्य नहीं रखा जा सकता। उनका आगे निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के अपराध के संबंध में गलत निष्कर्ष निकाला है, जबकि अभियोजक एक सहमति देने वाली पक्षकार थी और घटना की तारीख से एक साल बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी। अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा और विचारण न्यायालय ने अनुमान और कयासों के बावजूद दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जो क़ानून की दृष्टि से ग़लत है। विद्वान अधि वक्ता ने अंतत: तर्क दिया की अधीनस्थ न्यायालय के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए, विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, उत्तरवादी/राज्य द्वारा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के समर्थन में मामले के तर्क दिए ।

6. **पक्षकारों** के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मैंने विचारण न्यायालय के अभिलेखों और साथ ही आक्षे-पित निर्णय का परिशीलन किया है।

7. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन ने सात साक्षियों की परीक्षण किया ।

8. यह अविवादित है कि घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 16 साल से अधिक थी जैसा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन और मार्कशीट (प्रदर्श पी/4) से स्पष्ट है। इस प्रकार, इस मामले में केवल यह प्रश्न विचार के लिए बचता है कि क्या अभियोक्त्री एक सहमति देने वाली पक्षकार थी या नहीं। इस बिंदु पर अभियोजक, सहदेव (अ.सा. - 4) और सोमारू (अ.सा. - 5) के साक्ष्य प्रासंगिक हैं।

9. अ.सा. -1 सुरजबती, ने अपनी गवाही में कहा कि घटना की तारीख पर जब वह अपना काम करने के लिए खेत में गई थी, तो अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ आया और जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने उससे कहा कि वह इस मामले की रिपोर्ट थाने में करेगी, तो अपीलार्थी ने विवाह के आश्वासन पर उसे मना लिया लेकिन उससे विवाह नहीं किया। इसके बाद अपीलार्थी ने नियमित रूप से उसके साथ यौन संबंध बनाए। गाँव में पंचायत की बैठक बुलाई गई जिसमें अपीलार्थी ने लिखित रूप में दिया कि वह उससे विवाह करेगा लेकिन उसने उससे विवाह नहीं किया। उसने आगे कहा कि चूंकि अपीलार्थी ने उससे विवाह नहीं किया इसलिए उसने थाना फ्रेजरपुर में अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट (प्रदर्श पी/1) दर्ज कराई। अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि उसने पहली बार अपने माता-पिता को घटना के बारे में तब बताया जब वह सात महीने की गर्भवती थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि यदि अपीलार्थी ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो वह उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती। उसने आगे स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी के साथ रहने की इच्छुक नहीं थी और रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि घटना का खुलासा उसके पिता के सामने हुआ था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन और अभियोजक के डायरी बयान के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पुलिस के सामने और न्यायालय के सामने दिए गए उसके बयानों में भौतिक विरोधाभास और चूक हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी और अभियोजक के बीच प्रेम संबंध थे और उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में केवल सात महीने की गर्भावस्था के बाद बताया था। इस प्रकार उसके साक्ष्य के विवेचन पर अभियोक्त्री एक सहमति देने वाली पक्षकार प्रतीत होती है और प्रथम सूचना प्रतिवेदन लगभग एक साल बाद विलंब से दर्ज की गई थी।

10. अभियोजक की गवाही के संदर्भ में यदि (अ.सा.-4) सहदेव, अभियोजक के भाई और (अ.सा.-5) सोमारू, अभियोजक के पिता के साक्ष्य की जाँच की जाए तो यह स्पष्ट है कि (अ.सा.-4) सहदेव ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री दोनों एक साथ दसवीं कक्षा में पढ़ रहे थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे। घटना का खुलासा अभियोक्त्री द्वारा पहली बार केवल गर्भवती होने के बाद किया गया था और इसके बाद गाँव में पंचायत की बैठक बुलाई गई जिसमें अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि गर्भावस्था उसके कारण हुई थी। उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच संबंधों के संबंध में पंचायत के सामने निष्पादित दस्तावेज (प्रदर्श पी/7) में अपीलार्थी ने प्रसव के बाद अभियोक्त्री को अपने साथ रखने की बात स्वीकार की थी।

11. अ.सा.-5 सोमारू, अभियोक्त्री के पिता ने भी अ.सा.-4 सहदेव के कथन की पुष्टि की और वही बात कही। अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने कण्डिका 5 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब गाँव बिरिंगपाल का एक लड़का विवाह के उद्देश्य से उनकी बेटी (अभियोक्त्री) को देखने आया तो उसने पहली बार उन्हें घटना के बारे में बताया

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपीलार्थी के अलावा किसी और व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहती। इससे पहले उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। कण्डिका छह में उन्होंने आगे स्वीकार किया कि पंचायत के निर्णय के बाद अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी। उन्होंने इस तथ्य को सत्य स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने अधिक काम के कारण अपीलार्थी का घर छोड़ दिया और अपने मायके वापस आ गई।

12. अभियोक्त्री, उसके भाई सहदेव (अ.सा.-4) और उसके पिता सोमारू (अ.सा.-5) के साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच प्रेम संबंध थे। घटना का खुलासा केवल उसके गर्भवती होने के बाद किया गया था जो पंचायत के सामने निष्पादित दस्तावेज (प्रदर्श पी/7) से भी स्पष्ट है। सोमारू की गवाही से यह भी स्पष्ट है कि यदि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपनी पत्नी के रूप में रखा होता तो उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। यह तथ्य (अ.सा.-2) सुदुरुराम द्वारा भी पुष्ट किया गया है जो पंचायत की बैठक के सदस्य थे। इसके अलावा, अभियोक्त्री और अपीलार्थी के बीच प्रेम संबंध अ.सा.-3 आयतुराम, अभियोक्त्री के वास्तविक चाचा द्वारा भी स्थापित किया गया है। वह भी उक्त पंचायत के सदस्य थे जिन्होंने कण्डिका 3 में स्पष्ट रूप से कहा कि पंचायत के सामने अभियोक्त्री द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि वह अपीलार्थी के साथ प्रेम संबंध के कारण गर्भवती थी। आयतुराम द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि घटना का खुलासा पंचायत के सामने पहली बार किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अ.सा.-7 जी.एस. केसरिया, सहायक उप निरीक्षक ने गवाही दी कि दिनांक 31-7-2000 को उन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/1) पंजीबद्ध की, अभियोक्त्री की मार्कशीट (प्रदर्श पी/4) जब्त की, अभियोजक के पहनने के वस्त्र प्रदर्श पी/5 जब्त किए, स्थल का नक्शा प्रदर्श पी/8 तैयार किया और अभियोक्त्री को चिकित्सा परीक्षण के लिए प्रदर्श पी/10 के माध्यम से भेजा। अपनी प्रति-परीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब से दर्ज की गई थी, गाँव में बैठक होने के बाद विलंब से प्रस्तुत की गई है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभियोक्त्री द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर पंजीबद्ध की गई थी जिसमें अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के साथ अपने प्रेम संबंध को स्वीकार किया था (जैसा कि लिखित रिपोर्ट की सामग्री प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लिखित है) लेकिन वही अभिलेख में नहीं है। दूसरी ओर डॉक्टर (श्रीमती) शांति पांडे (अ.सा.-6) जिन्होंने अभियोक्त्री का परीक्षण किया। कुमारी सुरजबती, अभियोक्त्री के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने प्रदर्श पी/7-ए द्वारा अपनी रिपोर्ट दी जिसमें यह कहा गया है कि अभियोक्त्री यौन संबंध बनाने की आदी थी।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वर्तमान सहमति का स्पष्ट मामला है जहाँ अभियोक्त्री ने अपीलार्थी को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी थी। उनका तर्क है कि अभियोक्त्री के ब्यान से यह स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त/अपीलार्थी के चंगुल से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने अभियोक्त्री के साक्ष्य के कण्डिका 6 का संदर्भ दिया है, जिसका शाब्दिक अनुवाद इस प्रकार है:

> "यदि अपीलार्थी मुझे अपनी पत्नी के रूप में रखता तो वह उसके विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं कराती"

15. किसी भी स्थिति में यदि अपीलार्थी द्वारा उसकी इच्छा के विपरीत बलात्कार किया गया था तो वह कथित पहली बलात्कार की घटना के बाद उसकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से समर्पण नहीं करती। उसने स्वीकार किया कि पहली घटना के बाद अपीलार्थी ने उसके साथ यौन संबंध जारी रखे जिसका उसने विरोध नहीं किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और कथित बलात्कार की घटना का खुलासा सात महीने की गर्भावस्था के बाद किया गया। यह कथन उसके इस ब्यान पर भी संदेह का तत्व डालता है कि उसे उसके प्रतिरोध के बावजूद यौन संबंध के लिए मजबूर किया गया था। सबसे बढ़कर, न्यायालय में दिया गया उसका संस्करण प्रथम सूचना प्रतिवेदन में दिए गए ब्यान से भिन्न है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके और अपीलार्थी के बीच प्रेम संबंध थे और उसने विवाह के बार-बार वादों के कारण उसके सामने "आत्मसमर्पण" किया था। संक्षेप में, पहली बलात्कार की घटना के बारे में उसका ब्यान असंभावनाओं, सुधारों और अतिशयोक्ति से भरा है। यह एक अलग बात है कि वह विवाह के उसके वचन के प्रभाव में एक सहमति देने वाली पक्षकार बन गई। इस प्रकार (अ.सा. -1), अभियोक्त्री के इस ब्यान पर अवलंब करना सुरक्षित नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा विवाह का वादा देने से पहले ही पहली बार में उसकी इच्छा के विपरीत उसके साथ बलात्कार किया गया था। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती बलात्कार किया गया था, स्थिर रखने योग्य नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि घटना रिपोर्ट दर्ज कराने से एक साल पहले हुई थी, इस प्रकार अभियोक्त्री की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने में अत्यधिक विलंब है जिसकी संतोषजनक व्याख्या नहीं की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में **प्रदीप कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य,** प्रकाशित **2007 ए आई आर एस सी डबल्यू 5532** के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :-

> "यदि एक पूर्ण विकसित लड़की विवाह के वचन पर यौन संबंध के कार्य में सहमति देती है और गर्भवती होने तक ऐसी गतिविधि में लिप्त रहती है तो यह उसकी ओर से व्यभिचार का कार्य है न कि तथ्य की गलत धारणा से प्रेरित कार्य। ऐसे मामले में लड़की के कार्य को माफ करने और दूसरे पर दांडिक दायित्व लगाने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 90 की सहायता नहीं ली जा सकती, जब तक कि न्यायालय को यह आश्वासन न हो कि शुरुआत से ही अभियुक्त का वास्तव में उससे विवाह करने का कोई आशय नहीं था।"

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **जमनालाल उर्फ चिम्मन धीमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** प्रकाशित **2002 [2] एम पी एल जे 169** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-

"16 वर्ष से अधिक आयु की अभियोक्त्री ने घटना की तारीख पर और उसके बाद दो-तीन बार अभियुक्त के साथ यौन संबंध बनाए - पाँच महीने की गर्भावस्था देखने के बाद प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई, पाँच महीने तक उसका मौन रहना उसके रंगे हाथों पकड़े जाने का संकेत था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्धि अपास्त की गई।"

18. अभियोजक की गवाही के विवेचन पर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्त का उसके साथ कई बार यौन संबंध था जिसका उसने विरोध नहीं किया। यह भी स्वीकार किया गया है कि शुरू में उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में नहीं बताया था, बल्कि मामला उसके माता-पिता को केवल उसके गर्भवती होने के बाद बताया गया था। रिपोर्ट उसके कथित बलात्कार की तारीख से एक साल बाद दर्ज कराई गई थी। हालांकि, यदि अभियुक्त द्वारा उस-की इच्छा के विपरीत बलात्कार किया गया था तो वह कथित पहली बलात्कार की घटना के बाद उसकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से समर्पण नहीं करती। उसने अपने साक्ष्य के कण्डिका 6 में स्वीकार किया "यदि अभियुक्त ने उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा होता तो वह रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती"। इस प्रकार मामले के सभी तथ्यों और परिस्थिति-यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री घटना के समय प्रमुख होकर लगभग 19 वर्ष की आयु की भी होने के कारण व्यस्क थी और न केवल वह एक सहमति देने वाली पक्षकार थी बल्कि परिणाम से भी अच्छी तरह अवगत थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. इस प्रकार इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराई गई संपूर्ण सामग्री आधार को देखते हुए, प्रथम सूचना प्रति-वेदन दर्ज कराने में अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब को देखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण रूप से अभियोजन पक्ष के समय आचरण, जैसा कि ऊपर विस्तार से चर्चा की गई और वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मैं इस मत का हूँ कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है। इस न्यायालय के विचार में अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

20. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए। अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं। यदि जुर्माने की राशि जमा की गई है तो वह उसे वापस की जाए।

सही/-
आर.एन. चन्द्रकार
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By **Shaantam Patil**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur